कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)
रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
मोबाईल नं0-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102
E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

पत्रांक-1290

सेवा में,

सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी,
जिला- वैशाली।

हाजीपुर, दिनांक-23/06/26

विषयः- निजी विद्यालय प्रस्वीकृति (पंजीकरण)/नवीनीकरण हेतु ई-संबंधन पोर्टल पर 3 दिनों के अंदर जांच प्रतिवेदन एवं फोटोग्राफ अपलोड करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत गैर-सरकारी (निजी) विद्यालयों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी, त्वरित एवं समय-सीमा के अंदर निष्पादित करने हेतु विभाग द्वारा 'ई-संबंधन पोर्टल' संचालित है। वर्तमान में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के द्वारा प्रत्येक मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की जाती है। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि विभिन्न निजी विद्यालयों के आवेदन प्रखंड स्तर पर लंबे समय से लंबित हैं। 30 दिनों से अधिक लंबित रहने पर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के द्वारा काफी नाराजगी व्यक्त की जाती है।

अतः आप सभी को निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने प्रखंड के आवंटित आई0डी0 एवं पासवर्ड की सहायता से 'ई-संबंधन पोर्टल' को प्रत्येक दिन अनिवार्य रूप से लॉगिन करना सुनिश्चित करेंगे। पोर्टल पर लंबित संबंधित निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृति (पंजीकरण) प्रदान करने हेतु पत्र के साथ संलग्न नए जांच प्रतिवेदन प्रपत्र के अनुरूप स्थलीय जांच सुनिश्चित की जाए। स्थलीय जांच के क्रम में विभागीय मानकों का गहन भौतिक सत्यापन करते हुए, उससे संबंधित जीपीएस आधारित (Geo-tagged) फोटोग्राफ एवं पूर्ण रूप से तैयार स्थलीय जांच प्रतिवेदन को पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 3 दिनों के अंदर ई-संबंधन पोर्टल पर अपलोड करना तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा को प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
<u>इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।</u>

विश्वासभाजन

अनुलग्नक-जाँच प्रतिवेदन प्रपत्र।

23.6.26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांकः-1290 हाजीपुर दिनांकः-23/06/26
प्रतिलिपिः- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, वैशाली की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

23.6.26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

निजी विद्यालय पंजीकरण / नवीनीकरण हेतु स्थलीय जांच प्रतिवेदन प्रपत्र

प्रेषक: पत्रांक: ....

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी,

प्रखंड: ....

सेवा में:

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,

(प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा), वैशाली

दिनांक: ..../........../..............

विषय: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के तहत निजी विद्यालय पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु स्थलीय जांच प्रतिवेदन।

1. विद्यालय एवं आवेदन का विवरण

विद्यालय का नाम	
विद्यालय का पूरा पता	
आवेदन संख्या / ऑनलाइन ID	
ट्रस्ट / सोसाइटी का नाम	
कुल नामांकित छात्र संख्या (कक्षा 1-8)	कुल छात्र: .... (छात्र: .... / छात्राएं: ....)

2. स्थलीय जाँच एवं भौतिक सत्यापन (14 अनिवार्य बिंदु एवं मानक)

[निर्देश: प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रत्येक बिंदु की स्थलीय जाँच कर स्पष्ट 'हाँ' या 'नहीं' अंकित करेंगे तथा मंतव्य देंगे।]

क्र.सं.	विभागीय मानक / जाँच बिंदु (RTE नियमावली के आलोक में)	भौतिक स्थिति (हाँ/नहीं)	जाँच का स्पष्ट विवरण / मंतव्य
1	ट्रस्ट/सोसाइटी की जाँच: निबंधित ट्रस्ट डीड की मूल प्रति के अनुसार सभी सदस्य/अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष एक ही परिवार के या आपस में रक्त संबंधी (Blood Relatives) या रिश्तेदार नहीं हैं?	....	कुल सदस्य संख्या: .... अगर आपस में रक्त संबंधी (Blood Relatives) या रिश्तेदार मिले है तो ट्रस्ट/सोसाइटी कुल कितने सदस्य है: .... आपस में रक्त संबंधी (Blood Relatives) या रिश्तेदार कुल कितने सदस्य है: ....
2	भवन संरचना: विद्यालय में पठन-पाठन हेतु कम से कम 08 पक्के (Pucca) वर्ग कक्ष उपलब्ध हैं?	....	पक्के कमरों की संख्या: .... अन्य कमरों की संख्या: ....
3	रोशनी एवं हवा: सभी कमरों में पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी के साथ-साथ प्रति वर्ग कक्ष न्यूनतम 4 पंखे एवं विद्युत की सुचारू व्यवस्था है?	....	कुल पंखे: .... विद्युत बैकअप (हाँ/नहीं): ....
4	CCTV निगरानी: परिसर एवं सभी कक्षाओं में उत्तम गुणवत्तापूर्ण (चेहरा स्पष्ट दिखने वाले) ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग युक्त चालू CCTV कैमरे उपलब्ध हैं?	....	स्थापित कैमरों की कुल संख्या: .... डीवीआर/बैकअप क्षमता: ....

5	इंटरनेट सुविधा: विद्यालय कार्यालय एवं परिसर में सुचारू एवं निर्बाध हाई-स्पीड इंटरनेट/वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध है?	....	इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार: ....
6	शिक्षकों का भौतिक सत्यापन एवं अर्हता: आवेदन में अंकित शिक्षक भौतिक रूप से उपस्थित मिले? क्या विद्यालय में न्यूनतम 08 प्रशिक्षित शिक्षक (D.El.Ed / B.Ed) कार्यरत हैं?	....	कुल कार्यरत शिक्षक: .... मानक के अनुरूप प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या: ....
7	खेल का मैदान: छात्र-छात्राओं के शारीरिक विकास हेतु विद्यालय परिसर के अंदर पर्याप्त आकार का खेल का मैदान (Playground) अनिवार्य रूप से उपलब्ध है?	....	मैदान का अनुमानित क्षेत्रफल: ....
8	परिवहन व्यवस्था: यदि विद्यालय में वाहन की सुविधा है, तो क्या सभी वाहनों के दस्तावेज (फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, प्रदूषण, चालक लाइसेंस) अद्यतन हैं एवं वाहन में फर्स्ट एड किट उपलब्ध है?	....	कुल वाहनों की संख्या: .... दस्तावेज पूर्ण (हाँ/नहीं): ....
9	आचरण प्रमाण पत्र: विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों का पुलिस अधीक्षक (SP Office) द्वारा निर्गत वैध आचरण प्रमाण पत्र उपलब्ध है?	....	कुल कर्मी संख्या: .... सत्यापित कर्मी संख्या: ....
10	स्वच्छता, पेयजल एवं हैंडवॉश: बालक एवं बालिकाओं हेतु कम से कम दो अलग-अलग क्रियाशील शौचालय (रनिंग वाटर युक्त), हैंड वॉश स्टेशन तथा शुद्ध पेयजल सुविधा उपलब्ध है?	....	बालक शौचालय: .... बालिका शौचालय: .... पेयजल स्रोत: ....
11	सुरक्षा मानक: आपदा प्रबंधन के आलोक में विद्यालय भवन में चालू अवस्था में अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher), फर्स्ट एड किट आदि सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध है?	....	अग्निशमन यंत्रों की संख्या: .... पंजीकरण संख्या: ....
12	भवन का स्वामित्व एवं भूमि विवाद: विद्यालय निजी/ट्रस्ट के स्वामित्व के भवन में है या रेंट पर? क्या मूल अभिलेख /रेंट एग्रीमेंट जाँचा गया? कम से कम 3 वर्ष के लिए वैध है या नहीं? भूमि पूर्णतः विवाद-रहित है?	....	स्वामित्व का प्रकार: .... वैधता कब तक है: .... भूमि विवाद मंतव्य: ....
13	व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक एवं शुल्क जाँच: क्या विद्यालय स्वयं पुस्तक/ड्रेस बेचता है या किसी खास दुकान हेतु बाध्य करता है? पुनः नामांकन/मेंटेनेंस/वार्षिक/डेवलपमेंट शुल्क वर्जित है, यह जाँचा गया?	....	पूछताछ किए गए अभिभावकों की संख्या: .... अतिरिक्त शुल्क लेने का साक्ष्य: ....
14	चारदीवारी की उपलब्धता एवं कंप्यूटर लैब /पुस्तकालय संबंधित की उपलब्धता ?	....	कंप्यूटर की संख्या:................... पुस्तक की संख्या:.................... विद्यालय की में चारदीवारी पूर्ण है अथवा नहीं :............................
15	संस्था का भवन सक्षम प्राधिकार द्वारा नक्शा स्वीकृति के उपरांत, उपरोक्त नक्शा के अनुरूप हीं भवन का निर्माण हुआ हो	....	सक्षम प्राधिकार द्वारा नक्शा स्वीकृति हैं या अथवा नहीं: .... नक्शा के अनुरूप हीं भवन का निर्माण हुआ हैं या अथवा नहीं: ....

16	परिसर के आस-पास का वातावरण: विद्यालय परिसर के 1 किलोमीटर के दायरे (Radius) में कोई गैस गोदाम, पेट्रोल पंप, या ईंट-भट्ठा (चिमनी) स्थापित तो नहीं है?	....	1 किमी के दायरे में स्थित संवेदनशील इकाइयाँ (यदि कोई हो): ....

3. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का अंतिम जाँच मंतव्य एवं अनुशंसा

सख्त निर्देशानुसार निर्णय की स्थिति (कृपया संबंधित विकल्प पर स्पष्ट हस्ताक्षर/टिक करें):

[स्थिति - क] अनुशंसा (Recommendation): मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने उक्त विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण गहनता से किया है। विद्यालय उपर्युक्त सभी 16 अनिवार्य मानकों एवं विभागीय शर्तों को पूर्ण करता है। अतः विद्यालय को प्रस्वीकृति (पंजीकरण) / नवीनीकरण देने हेतु अनुशंसा की जाती है।

(प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का अतिरिक्त मंतव्य):

....

....

....

[स्थिति - ख] अस्वीकृति / रिजेक्ट (Rejection): उक्त विद्यालय स्थलीय निरीक्षण में मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। विभागीय निर्देश के आलोक में विद्यालय को कमियाँ पूर्ण करने हेतु पूर्व में 30 दिनों का समय दिया गया था, परन्तु समय बीतने के उपरांत भी विद्यालय मानक पूर्ण करने में विफल रहा। उपर्युक्त 16 बिंदुओं में से बिंदु संख्या .... अपूर्ण/अनुपलब्ध पाई गई। अतः उक्त आवेदन को अस्वीकृत (Reject) किया जाता है।

(प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का अतिरिक्त मंतव्य):

....

....

....

जाँच की तिथि..

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी
हस्ताक्षर एवं मुहर
प्रखंड: ....

अनुलग्नक - 1: कक्षावार शुल्क एवं संसाधन विवरण (अनिवार्य संलग्नक)

विद्यालय का नाम: ....

निर्देश: विद्यालय प्रधान/संचालक द्वारा भरा जाएगा एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बिल/वाउचर से इसका भौतिक मिलान किया जाना अनिवार्य है।

कक्षा (वर्ग)	**कुल नामांकित छात्र संख्या**	**मासिक ट्यूशन फीस (₹)**	**पाठ्य पुस्तक का कुल मूल्य (बाजार दर पर) (₹)**	**ड्रेस का कुल अनुमानित मूल्य (बाजार दर पर) (₹)**
वर्ग 1				
वर्ग 2				
वर्ग 3				
वर्ग 4				
वर्ग 5				
वर्ग 6				
वर्ग 7				
वर्ग 8				

घोषणा (विद्यालय संचालक / प्रधानाध्यापक द्वारा)

- मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे विद्यालय द्वारा पाठ्य पुस्तक, ड्रेस, कॉपी आदि की बिक्री विद्यालय परिसर में स्वयं नहीं की जाएगी और न ही इसके लिए किसी विशिष्ट दुकानदार/एजेंसी को चिन्हित कर अभिभावकों को बाध्य किया जाएगा।
- मैं यह शपथ लेता हूँ कि विद्यालय द्वारा विभागीय निर्देशों के विपरीत पुनः नामांकन शुल्क (Re-admission Fee), मेंटेनेंस शुल्क (Maintenance Fee), वार्षिक शुल्क (Yearly Fee) अथवा डेवलपमेंट शुल्क लेना पूर्णतः वर्जित है और हमारे द्वारा ऐसा कोई अवैध शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- मैं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 तथा बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2019 के सभी प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन करूँगा तथा विभाग द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं ससमय उपलब्ध कराऊँगा। यदि इसमें कोई त्रुटि या अवहेलना पाई जाती है तो वैधानिक एवं दंडात्मक कार्रवाई के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँगा।

दिनांक: .... / .... / ....

....

विद्यालय संचालक / प्रधानाध्यापक का पूर्ण हस्ताक्षर एवं मुहर

4. अनिवार्य संलग्नक (जाँच प्रतिवेदन के साथ संपुष्ट किए जाने वाले साक्ष्य)

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ध्यान दें कि निम्नलिखित दस्तावेज प्रतिवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न होने चाहिए, अन्यथा प्रतिवेदन अधूरा माना जाएगा:

- विद्यालय का कक्षावार शुल्क विवरण: उपर्युक्त तालिका (अनुलग्नक-1) जो विद्यालय संचालक एवं आपके द्वारा हस्ताक्षरित हो।
- 08 से 10 GPS आधारित (Geo-tagged) कलर फोटोग्राफ: प्रत्येक फोटो में **प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) एवं विद्यालय संचालक दोनों की भौतिक उपस्थिति** अनिवार्य है। फोटोग्राफ निम्नलिखित स्थलों/स्थितियों के होने चाहिए:
    - विद्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार (सम्पूर्ण भवन एवं नामपट्ट के साथ)।
    - पक्के वर्ग कक्षों का आंतरिक दृश्य (प्राकृतिक रोशनी, विद्युत एवं 4 पंखे प्रदर्शित करता हुआ)।
    - शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के साथ भौतिक उपस्थिति सत्यापन का सामूहिक दृश्य।
    - विद्यालय परिसर में अवस्थित खेल के मैदान (Playground) का दृश्य।
    - बालक एवं बालिकाओं के अलग-अलग शौचालय तथा चालू हैंडवॉश स्टेशन का दृश्य।
    - भवन एवं परिवहन वाहनों में स्थापित चालू अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher) एवं फर्स्ट एड किट।
    - कक्षाओं एवं परिसर में संस्थापित सीसीटीवी (CCTV) कैमरे एवं इंटरनेट/राउटर की भौतिक व्यवस्था।
    - *नोट: यह जाँच प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा), वैशाली को ससमय समर्पित किया जाना अनिवार्य है।*